

23/5/17

राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

अभियुक्तगण उपजेल गोहद से प्रस्तुत। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव, श्री एम0एस0 यादव।

अभियुक्त शिवराजसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0। उन्होंने अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 द0प्र0स0 मय मेमो पेशकर उसके संबंध में निवेदन किया कि संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा मिथ्या आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है उसका अपराध से कोई संबंध नहीं है। मृतिका की दुर्घटना में मृत्यु हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त स्थानीय निवासी है, वह न्यायालयीन शर्तों का पालन करने को तत्पर है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।

ए डी पी ओ ने आवेदन पत्र का विरोध कर अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त करने के आवेदन को निरस्त करने की प्रार्थना की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर उसकी भाभी मृतिका लाली की षडयंत्र पूर्वक सहअभियुक्तगण से मिलकर ग्राम चम्हेडी के पास वाहन चढाकर हत्या कारित करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में सारवान तथ्य अभिलेख पर प्रतीत होते हैं। यद्यपि अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है, किन्तु दण्डनीय अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का होकर मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय हैं। साथ ही अनन्यतः मान0 सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। ऐसे में अभियुक्त जमानत पर छोड़े जाने का पात्र नहीं है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है।

उभयपक्षों के तर्क सुने गये।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 16.02.17 को थाना प्रभारी मौ को जरिये 100डायल सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौ की चौकी झांकरी अंतर्गत मौ गोहद रोड पर ग्राम चम्हेडी गेट के पास एक अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर तत्काल रवाना होकर मौके पर पहुंचकर मौके पर चौकी से एसआई परशुराम पाल ने सूचनाकर्ता चरनसिंह राणा की सूचना पर देहाती मार्ग कायम किया गया। शव परीक्षण कराया गया। मार्ग जांच में मृतिका की शिनाख्त लाली पत्नी स्व0 बंटी बढई निवासी अडूपुरा थाना मौ के रूप में हुई। उसके माता पिता से ज्ञात हुआ कि वह अंतिम बार अपने देवर शिवराज के साथ गयी थी तत्पश्चात् से उसका पता नहीं चला। अभियुक्त से पूछताछ करने पर मृतिका की हत्या अपने चार अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ उन्हें षडयंत्र में शामिल कर चार लाख रुपये में करने का सौदा किया और उसके निष्पादन में शिवराज मृतिका को फोन करके बुलाया और बाद में वाहन मारुति ईगो एम0पी0-32 सी-1681 में ले जाकर उसी वाहन से कुचलकर हत्या कारित कर दी। अनुसंधान में संपत्ति जब्त की गयी। अभियुक्त की कॉल डिटेल्स संलग्न की गयी, कथन लिए गए,

THE

क
शिवराज
मौ
विचार
मी 20

2008 19/5/17 डी.सि

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>शिनाख्त कराई गयी। जब्तशुदा पदार्थों को एफ0एस0एल0 को जांच हेतु भेजा गया, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।</p> <p>अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302, 201, 120 बी, 34 भादवि0 के अधीन अभियोगपत्र पेश किया गया है। उक्त धाराओं के अधीन विचारण का एकमात्र क्षेत्राधिकार मान0 सत्र न्यायालय को होने से प्रकरण मान0 सत्र न्यायालय को उपार्पित किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र एवं सलगन दस्तावेजों की प्रति पूर्व में दिलाई जा चुकी है।</p> <p>प्रकरण में निष्पादन लिपिक आगामी नियत दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय में प्रकरण को सुव्यवस्थित कर पहुंचाये जाने की व्यवस्था करे। साथ ही लोक अभियोजक को उपर्पाण सबधी सूचना भेजी जाए।</p> <p>उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए।</p> <p>अभियुक्तगण जेल में हैं, अतः जेलर को निर्देशित किया जावे वे आगामी दिनांक को अभियुक्तगण को मान0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद के न्यायालय में 11 बजे उप0 रखें।</p> <p>अभिरक्षा अवधि का प्रमाणपत्र बनाया जावे।</p> <p>प्रकरण उपार्पण की सूचना मान0 सत्र न्यायालय में संधारण की दृष्टि से किए जाने बावत् प्रकरण पत्रावली मय ज्ञापन के मान0 सत्र न्यायालय भिण्ड को प्रेषित की जावे।</p> <p>प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 05.06.17 को पेश हो।</p> <p>(A.M. Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distt. Bhind (M.P.)</p>	